राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2718/2025 राम खिलाड़ी, योगी, प्रधानाचार्य	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।	06.05.2025	श्री विजय पाठक, अभिभाषक
2.	2732/2025 रमेश चंद मीणा, प्रधानाचार्य	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।	07.05.2025	श्री विजय पाठक, अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 02.06.2025

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2718/2025 राम खिलाड़ी योगी बनाम प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नादौती जिला करौली में उप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत था। आदेश दिनांक 08.07.2024 द्वारा अपीलार्थी को उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत कर वर्तमान पदस्थापना स्थान पर पदस्थापित किया गया। दिनांक 12.04.2025 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी को 2023–24 की रिक्तियों के विरुद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया जाता है। (अनुलग्नक–1) दिनांक 12.04.2025 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत कर दिया गया तथा अपीलार्थी की वरिष्ठता को ध्यान में रखे बिना ही उसे दूर के स्थान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुरा–मदारी जिला धौलपुर में पदस्थापित कर दिया गया, जबकि आस–पास के स्थानों जिला करौली में प्रधानाचार्य के कई पद रिक्त हैं। अपीलार्थी सेवानिवृत्ति के कगार पर है तथा वह 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है। (अनुलग्नक–2) राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग के संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया था। इस परिपत्र को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया था। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है कि अपीलार्थी को

निकटवर्ती स्थान पर नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाए। जिला करौली में अभी भी 70 से अधिक सीटें रिक्त हैं और अपीलार्थी को उक्त किसी भी पद के लिए समायोजित किया जा सकता है। अपीलार्थी की नियुक्ति धौलपुर जिले में 150 किलोमीटर दूर है। अपीलार्थी ने पहले राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी और दिनांक 05.05.2025 के आदेश के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्ति और अन्य आधारों के साथ न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 12.04.2025 में संशोधन किया जाकर अपीलार्थी को अपने निकटवर्ती स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खिरखिड़ा, करौली, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धोलेटा करौली, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नादौती करौली एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाल करौली में रिक्त पद पर नियुक्ति दिए जाने के निर्देश दिए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 2718/2025 राम खिलाड़ी योगी बनाम प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष